बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
-::कार्यालय आदेश::-

का0आ0–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 46 /, पटना–15, दिनांक 04-2-2020

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 20.01.2020 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सहायको/सेवानिवृत सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–06 में अंकित विभाग में सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामचन्द्र चौधरी	सहायक	26.01.1960	31.01.2020	परिवहन विभाग, बिहार, पटना
2	श्री अंजनी कुमार सिंह	सहायक	01.01.1960	31.12.2019	कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय (गृह विभाग), बिहार, पटना
3	श्री शिव कुमार सिंह	सहायक	21.01.1960	31.01.2020	वणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना
4	श्रीमती रूबी सिन्हा	सहायक	01.01.1960	31.12.2019	वित्त विभाग, बिहार, पटना
5	श्री नजीर अंसारी	सहायक	17.01.1960	31.01.2020	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना
6	श्री मृत्युंजय कुमार	सहायक	14.01.1960	31.01.2020	स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर नियोजन रद्द हो जायेगी।

6. आरक्षण के लाभ की अनुमान्यता के आधार पर तत्संबधी प्रमाण–पत्र योगदान के समय प्राप्त कर लेने तथा उसकी प्रामाणिकता की सम्पुष्टि अनिवार्य होगा।

7. अनुशंसित अभ्यर्थी का नियोजन जिस पद विशेष से सेवानिवृत हुए है उसी पद पर अथवा समकक्ष पद पर होने के संबंध में सुनिश्चित हो लेंगे।

8. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

10. इन सेवानिवृत सहायको को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

11. इन सेवानिवृत सहायको को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

04.02.2020

(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 46 **/, पटना–15, दिनांक** 04-2-20

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कारा एवं सुधार सेवाएं (गृह विभाग), बिहार, पटना/परिवहन विभाग/ वणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 एवं 22, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी सहायक/सेवानिवृत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.02.2020

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 46 **/पटना–15, दिनांकः–**..............................

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.02.2020

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–15/बि0स0से0–18–02/2016 सा0प्र0 46 **/पटना–15, दिनांकः–** 04-2-20

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04.02.2020

सरकार के अवर सचिव।

PK/AK-19/office order